

प्रेषक,

प्रवीर कुमार  
मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-निदेशक, अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक:- 30-04-2016

विषय:- शैक्षिक सत्र-2016-17 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा-9 व 10) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत है, कि पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं को त्वरित रूप से लाभान्वित किये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी से समन्वय स्थापित कर पब्लिक फाइनेन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से लेकर भुगतान करने के मध्य समस्त प्रक्रियागत कार्यवाही आन-लाइन अनिवार्य कर दी गयी है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-153/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-28.04.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 9 व 10) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिये निम्नवत् समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र. सं	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की समयावधि कक्षा 9-10 हेतु
1	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना	1 जुलाई 2016 से 16 अगस्त 2016 तक।
2	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना	01 जुलाई से 31 अगस्त, 2016 तक
3	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में।
4	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 सितम्बर, 2016 तक
5	शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	01 जुलाई से 14 सितम्बर, 2016 तक
6	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना	01 जुलाई से 17 सितम्बर 2016 तक
7	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना एवं PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	18 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2016 तक

8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना	15 अक्टूबर, 2016 तक
9	सन्देशास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिण पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2016 तक
10	ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकोपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 28 अक्टूबर 2016 तक
11	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2016 तक
12	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देशास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना	01 नवम्बर से 10 नवम्बर 2016 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देशास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना	25 नवम्बर, 2016 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना	30 नवम्बर 2016 तक
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	10 दिसम्बर, 2016 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016-17 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


भवदीय

(प्रवीर कुमार)  
मुख्य सचिव

पु0सं0-108/2016/आर-1339(1)/26-3-2016 तदुदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(विजय प्रसाद त्रिपाठी)  
अनुसचिव